न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/1557/2003/बीकानेर

नरपत सिंह पुत्र गुलाब सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रायसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नोखा, जिला बीकानेर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः –10.06.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 58/2002 शीर्षक नरपत सिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–12–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं धारा 125, 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वाद प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 69/8 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम नोखा मंडी वादी के दादा चैनसिंह के कब्जे काश्त में सम्वत् 2000 से पूर्व से निंरतर चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी व जमाबंदी सम्वत् 2010 में भी चैनसिंह का नाम काश्तकार के रुप में दर्ज है। इस प्रकार वादी उपरोक्त आराजी का बाई आपरेश आफ लॉ खातेदार हो चुका है। अतः खसरा नम्बर 69/8 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा का वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और इसी अनुसार वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जावें। प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर आपत्ति की गई कि प्रश्नगत भूमि गोचर/चरागाह भूमि है जिस पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी को वाद पेश करने का वाद हेतुक नहीं होने से दावा खारिज किया जाये। सहायक कलक्टर, नोखा ने निर्णय दिनांक 23–3–2002 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत की गई आपत्तियों के आधार पर दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध

अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28–12–2002 के द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 69/8 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम नोखा मंडी वादी के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चलती आ रही है। खसरा गिरदावरी व जमाबंदी सम्वत् 2010 में भी वादी कये दादा चैनसिंह का नाम काश्तकार के रुप में दर्ज है। वादी का पूर्वजों के समय से पुराना कब्जा काश्त होने से अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को हकूक खातेदारी प्राप्त हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पो0 पक्ष की ओर से आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत की गई प्राथमिक आपत्ति कि, प्रश्नगत भूमि गोचर होने से धारा 16 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है, के आधार पर वादी के वाद को खारिज किया है जो कि पूर्णतया अविधिक है। आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत की गई प्राथमिक आपत्ति के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी तर्क रहा है कि प्रश्नगत भूमि भौतिक रुप से चरागाह के उपयोग में नहीं आ रही है बल्कि मौके पर काबिल काश्त भूमि है और वादी/अपीलार्थी के पुराने समय से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करने में विधिक भूल की गई है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अविधिक रुप से परीक्षण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की हे। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया जाये।

6– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि गै0मु0 चरागाह की भूमि है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की भूमि खातेदारी प्रदान किये जाने के लिये प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः परीक्षण न्यायालय ने वादी के वाद को विधिक परिप्रेक्ष्य में खारिज किया है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय की पुष्टि की है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन है, जिसे खारिज किया जाए।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 69/8 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा के सम्बन्ध में वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है और वादी का पुराना कब्जा होने से वादी को कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो जाते है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि "राजकीय भूमि गोचर" भूमि अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उन भूमियों को अंकित किया गया है जिन पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं और उसमें (1) पर गोचर भूमि अंकित है। सुस्पष्ट है कि गोचर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से प्राथमिक आपत्ति अंतर्गत "आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता" के तहत प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नगत भूमि गोचर होने से धारा 16 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत परीक्षण करते हुये गोचर भूमि को खातेदारी प्रदान किये जाने योग्य भूमि नहीं माना है। स्पष्ट है कि गोचर भूमि होने से वादी को किसी प्रकार से वाद हेतुक पैदा नहीं हुआ है क्योंकि गोचर भूमि राज्य की भूमि होती है और वादी/अपीलार्थी को किसी प्रकार से विधिक स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अतः वादी को किसी प्रकार का Cause of Action नहीं होने से परीक्षण न्यायालय ने प्राथमिक आपत्ति अंतर्गत "आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता" के तहत प्रस्तुत की गई को स्वीकार करते हुये वादी के वाद को खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को परीक्षण उपरान्त पुष्ट किया है और अपील को खारिज किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं जिनमें हम किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी या कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करना नहीं पाते हैं और न्याय दृष्टान्त 2011 आर.बी0जे0 पेज 364 (एच0सी0) एवं 1999 आर. बी0जे0 पेज 541 (एस0सी0) के अनुसरण में समवर्ती निर्णयों में हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य